कोटशन/निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला विकास अधिकारी/उप जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा बागेश्वर के कार्यालय पत्रांक संख्या 140/मनरेगा वाहन/2020--21 दिनांक 20 मई, 2020 से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में विकास खण्ड गरूड हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा कार्यो के सत्यापन एवं अन्य शासकीय कार्य हेतु किराये पर माह जून, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक वाहन (महिन्द्र बोलैरो) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाहन स्वामियों से दिनांक 08 जून, 2020 के अपरान्ह 2:00 बजे तक वाहन का मासिक किराया अधिकतम रू0 21000.00 (इक्कीस हजार) मात्र की दरों से सम्बन्धी कोटशन आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे विकास खण्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा खोली जाएगी।

आवश्यकता शर्तेः--

1-- वाहन स्वामियों द्वारा दिये गये औसत के अनुसार यदि गाड़ी की औसत नही आयेगी तो उतनी औसत के अनुसार धनराशि वाहन स्वामी के देयक से कटौती कर ली जाएगी।

2-- वाहन की आवश्यकता 03 माह से कम भी हो सकती है।

3-- वाहन की स्थिति उत्तराखण्ड में प्रचलित वाहन अधिनियम के अनुसार दुरस्त होनी चाहिए तथा परिवहन विभाग के नियमानुसार रोड टैक्स, बीमा, वाहन की फिटनेस आदि करो का भुगतान का दायित्व समयान्तर्गत वाहन स्वामी का होगा।

4-- वाहन की सुरक्षा, सर्विसिंग आदि का दायित्व भी वाहन स्वामी का ही होगा। उक्त मदो में विभाग द्वारा कोई धनराशि व्यय नही की जाएगी।

5-- वाहन चालक कुशल, अनुशासित एवं नशा रहित होना चाहिए। चालक के वेतन, भोजन, आवास आदि की व्यवस्था वाहन स्वामी को करनी होगी तथा वाहन अधिग्रहण करने की तिथि से 31.03.2021 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में ही रखना होगा।

6-- वाहन स्वामी/वाहन चालक को विभागीय आवश्यकतानुसार किसी भी समय यात्रा हेतु वाहन विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

7-- वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो।

8-- यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी/दुर्घटना होने पर अन्य वाहन की व्यवस्था वाहन स्वामी को करनी होगी। ऐसा न करने पर दूसरा वाहन किराये पर लेने की स्थिति में सम्पूर्ण व्यय वाहन स्वामी के देयकों से कटौती कर ली जाएगी।

9-- विभाग द्वारा यात्रा की आवश्यकता केवल ईधन (डीजल) ही वाहन में उपलब्ध करवाया जाएगा तथा वाहन द्वारा 10 कि0मी0 प्रति लीटर की दर से माईलेज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का वाहन पर होने वाले व्यय वाहन स्वामी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

10-- विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी लॉगबुक वाहन के समस्त प्रपत्रों की सुरक्षा का दायित्व वाहन स्वामी/चालक का होगा तथा फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक होगा।

11-- वाहन को किराये पर उपयोग न करने/हटाने हेतु दोनों पक्षों को न्यूनतम 3 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। उक्त नोटिस पर दोनों पक्षों द्वारा वाहन कभी भी हटाया जा सकता है।

12-- उच्चाधिकारियों के आदेशों पर वाहन को जनपद से बाहर भी शासकीय कार्य हेतु उपयोग में लाया जा सकता है तथा विभागीय धनरशि प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा।

13-- वाहन को जनपद के सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14-- विकास खण्ड गरूड़ के वाहन स्वामियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

15-- उपरोक्तानुसार मांगे गये सभी अभिलेखों की छाया प्रतियॉं निविदा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जानी अनिवार्य है।

16-- उपरोक्त आमंत्रित की गयी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

17-- उक्त कोटेशन के सम्बन्ध में अधिक जानकारी कार्यदिसव के दौरान प्राप्त कर सकते है।

खण्ड विकास अधिकारी/
कार्यक्रम अधिकारी
मनरेगा-- गरूड

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा गरूड़।
पत्रांक 36 /जे0ए0/वाहन निविदा/2020--21 दिनांक 25-5-2020

प्रतिलिपिः-- 1-- सार्वजनिक स्थल/विकास खण्ड कार्यालय/तहसील कार्यालय गरूड़ के नोटिस बोर्ड हेतु।

2-- जिला सूचना अधिकारी बागेश्वर को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त निविदा को 2 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में अधिकतम रू0 2000.00 में प्रकाशित करवाने का कष्ट करेंगे।

3-- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बागेश्वर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को विभागीय वैवसाईड में प्रदर्शित करवाने का कष्ट करेंगे।

4-- जिला विकास अधिकारी/उप जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5-- मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

6-- जिलाधिकारी महोदया/जिला कार्यक्रम समन्यक, मनरेगा बागेश्वर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

खण्ड विकास अधिकारी/
कार्यक्रम अधिकारी
मनरेगा गरूड